न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 239–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–1–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर अपील प्रकरण कमांक 95/2014–14.

1– रूखड़िया पिता पूना
शेरसिंह पिता अमर सिंह मृतक तर्फे वारिसान नं. 3
2– दशरथ पिता शेर सिंह
3– श्रीमती नानबाई पति शेरसिंह
निवासीगण ग्राम भीलबरखेड़ा
तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– बच्चूसिंह पिता मांगीलाल
2– छोटूसिंह पिता मांगीलाल
निवासीगण ग्राम भीलबरखेड़ा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री संजय जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भीलबरखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 130 व 133 अनावेदकगण सहित अतरसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । आरंभ से सर्वे कमांक 133 रकबा 1.012 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 1 रूखड़िया पिता पूना, सर्वे

कमांक 130 रकबा 0.379 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 2 के पिता एवं आवेदक कमांक 3 के पति शेरसिंह का नामांतरण ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया । इसी प्रकार आवेदक कमांक 1 की भूमि सर्वे कमांक 131 रकबा 0.949 हेक्टेयर एवं आवेदक कमांक 2 की भूमि सर्वे कमांक 132 रकबा 0.379 हेक्टेयर पर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया । ग्राम पचांयत के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी धार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–10–2014 को आदेश पारित कर नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 5 पर पारित आदेश दिनांक 21–4–2001 को निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में निरस्त आदेश के पूर्व की स्थिति कायम की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 165 एवं 167 इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं, क्योंकि जहां एक पक्ष आदिवासी और दूसरा पक्ष गैर आदिवासी हो, वहां संहिता की धारा 165 के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती है । वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है ।

(2) उभय पक्ष द्वारा वर्ष 2001 में अपनी पूर्ण सहमति से एवं परिवार के सदस्यों की सहमति से प्रश्नाधीन भूमियों की अदला–बदली की गई है, और तब से वे निरंतर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, अतः लगभग 13 वर्ष पश्चात अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं थी ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा बिना अनुमति के प्रश्नाधीन भूमियों की अदला–बदली नहीं की गई है, बल्कि अनावेदकगण की सहमति से ही अदला–बदली की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण द्वारा उल्लिखित आधारों पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब के संबंध में बिना कारणों का उल्लेख किये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जो कि क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा केवल संक्षिप्त मनन कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी अग्राह्य की गई है, जबकि उनका विधिक दायित्व था कि वे विधि के समस्त प्रश्नों का निराकृत कर गुण–दोष पर सकारण आदेश पारित करते ।

(6) अपर आयुक्त द्वारा बिना अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय का अभिलेख बुलाये अपील अग्राह्य करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(7) अपर आयुक्त यदि तहसील न्यायालय का अभिलेख बुलाते तब स्पष्ट हो जाता कि पंचनामा पर उभय पक्ष सहित सभी पक्षकारों द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(8) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के किये गये नामांतरण को निरस्त किया गया है, जबकि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि संहिता की धारा 167 के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है ।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का अभिलेख स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम पंचायत द्वारा बिना अनावेदकगण की सहमति के नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 5 पर दिनांक 21–4–2001 को आदेश पारित कर अनावेदकगण की भूमि पर उनका नाम कम कर आवेदकगण के नाम दर्ज किया गया है, जो कि आरंभ से ही शून्यवत कार्यवाही है ।

(2) अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, और न ही आवेदकगण का उक्त भूमियों पर कोई स्वत्व है, और न ही आधिपत्य है, अतः ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही में न तो विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, न ही अनावेदकगण को कोई सूचना दी गई है, और समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों को बलाये ताक में रखकर की गई है ।

(4) ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसका अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है ।

(5) संहिता की धारा 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि के विनिमय की कार्यवाही कलेक्टर की अनुमति से की जायेगी, और कलेक्टर की बिना अनुमति के विनिमय की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । विनिमय पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा, जो कि नहीं कराया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1997 आर.एन. 38 एवं 1972 आर.न. 430 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों की अदला–बदली करने में सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है । इसके अतिरिक्त उभय पक्ष की बिना सहमति के तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विनिमय किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है, और न ही उक्त विनिमय पत्र का पंजीकरण अनावेदक द्वारा कराया गया है, जबकि संहिता की धारा 168 के अंतर्गत विनिमय पत्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है । यहां मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि नामांतरण पंजी पर प्रश्नाधीन भूमियों की अदला–बदली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उभय पक्ष की सहमति के संबंध में विस्तृत जांच की जाकर सक्षम प्राधिकारी ककी अनुमति से ही विनिमय हो सकता है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर